



संख्या-12/2026/001-ई-4053659/60-3-2026-सी-351364

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासना

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ०प्र०, लखनऊ

महिला कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 18 मई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ०प्र० नियंत्रण बोर्ड हेतु वेतन/गैर वेतन मदों में प्राविधानित बजट से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-177-78/निदे०म०क०/अनुदान/नि०बोर्ड/ आवंटन/ 2026-27, दिनांक 27.04.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-06-अनाथालय और अन्य पूर्व आश्रम (पर्यवेक्षक और नियंत्रण) अधिनियम 1960 लागू करने के निमित्त नियन्त्रण बोर्ड उ०प्र० को अनुदान मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि ₹0 39,88,000.00 (रूपये उन्तालिस लाख अठ्ठासी हजार मात्र) के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि ₹0 39,88,000.00 (रूपये उन्तालिस लाख अठ्ठासी हजार मात्र) तथा मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि ₹0 1,07,20,000.00 (रूपये एक करोड़ सात लाख बीस हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम क्रिस्त के रूप में धनराशि ₹0 35,73,333.00 (रूपये पैंतीस लाख तिहत्तर हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-06-अनाथालय और अन्य पूर्व आश्रम (पर्यवेक्षक और नियंत्रण) अधिनियम 1960 लागू करने के निमित्त नियन्त्रण बोर्ड उ०प्र० को अनुदान मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि ₹0 39,88,000.00 (रूपये उन्तालिस लाख अठ्ठासी हजार मात्र) के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि ₹0 39,88,000.00 (रूपये उन्तालिस लाख अठ्ठासी हजार मात्र) तथा मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि ₹0 1,07,20,000.00 (रूपये एक करोड़ सात लाख बीस हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम क्रिस्त के रूप में धनराशि ₹0 35,73,333.00 (रूपये पैंतीस लाख तिहत्तर हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
- (2) निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र० यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनान्तर्गत निर्गत की जाने वाली धनराशि की द्विरावृत्ति न हो।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्रगत योजना पर ही किया जायेगा एवं योजना हेतु समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों/ मानकों/दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।
- (4) प्रश्रगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो इसके लिए निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र० उत्तरदायी होंगे।
- (5) निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र० द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्रगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है, अन्यथा की स्थिति में निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र० का दायित्व होगा कि वह शासन को तत्काल आवश्यक नियमत: कार्यवाही कर अवगत कराये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का होगा।

(7) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(9) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(10) धनराशि का निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0/विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(11) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 से सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 35,73,333/- (रुपये पैंतीस लाख तिहत्तर हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021900600 अनाथालय और अन्य पूर्व आश्रम (पर्यवेक्षक और नियंत्रण) अधिनियम 1960 लागू करने के निमित्त नियन्त्रण बोर्ड उ. प्र. को अनुदान मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) (2) रुपये 39,88,000/- (रुपये उनतालीस लाख अठ्ठासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021900600 अनाथालय और अन्य पूर्व आश्रम (पर्यवेक्षक और नियंत्रण) अधिनियम 1960 लागू करने के निमित्त नियन्त्रण बोर्ड उ. प्र. को अनुदान मानक मद 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-12 /2026/001-ई-4053659/60-3-2026-सी-351364, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- सदस्य सचिव, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।